मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजनान्तर्गत

संख्या– 1464 / III(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 — देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च, 2011

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 55 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 123.33लाख (₹ एक करोड़ तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 55 कार्यो हेतु ₹ 5.50 लाख (₹ पॉच लाख पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(ii)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

2.2

(8)

(viii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0- 22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-04 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(xi)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 324/XXVII/(2)/2010 दि0: 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/11-08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

388/20 ... 25/03/2011

2.2

30	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में बुडेरा गदेरे में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण	10.00	2.74	0.10
31	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में लोरतु पाथरी ग्राम हेतु खाली गदेरे पर पैदल सेतु का निर्माण।	30.00	1.20	0.10
32	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बिण में हिमपानी व धारीजोशी के मध्य गदेरे में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	12.00	2.82	0.10
33	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में बलगडी नामक स्थान पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण।	30.00	3.54	0.10
34	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग में किमकोट पैदल मार्ग में पुल का निर्माण।	30.00	3.54	0.10
35	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत गोलाई में पैदल पुल का निर्माण	18.00	3.06	0.10
36	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में सिरताली गॉव में आर0सी0सी0 पैदल सेतु का निर्माण	12.00	2.82	0.10
37	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत में जमराडी नाले में पैदल पुल का निर्माण।	24.00	3.30	0.10
38	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में ग्राम मेलटा पत्थरकोट तथा बसौट को आपस में जोडने हेतु बसौट गाड पर पैदल सेतु का निर्माण।	21.00	3.18	0.10
39	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड लोहाघाट में ग्राम कोटकालगगा चाचडी को जोडने हेतु पैदल पुल का निर्माण।	18.00	3.06	0.10
40	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड बाराकोट में ग्राम सील के सीलगार्ड पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	15.00	2.94	0.10
41	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछीना में पम्या में आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण।	15.00	2.94	0.10
42	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी में बिनीखेत तल्ली में पैदल स्टील गर्डर का निर्माण।	30.00	3.54	0.10
43	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताकुला ऐड़ाद्यों नामक स्रोत पर आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण।	20.00	3.14	0.10
44	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भिकियासैंण में नौगांव ग्राम हेतु नैकण गधेरे पर 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण	24.00	3.30	0.10
45	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्यालदे में महड़पानी व खड़ीकडांग ग्रामसभा में विनोली घराट के समीप बाली गधेरे पर 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण	30.00	3.54	0.10

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

46	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताड़ीखेत में ग्राम रामा दूनी में नाल गधेरे पर 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पैदल सेतु का निर्माण	12.00	2.82	0.10
47	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड हवालबाग में नाकोट सीन पर 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पैदल सेतु का निर्माण	12.00	0.87	0.10
48	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट घरी रतखाल गांवों ग्रामों की संयोजकता हेतु 30 मी0 स्पान पैदल स्टील गर्डर पुल का निर्माण	30.00	3.54	0.10
49	मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में ग्राम धनखोली के बजरगढ़ गधेरे में 15.00 मी0 आर0सी0सी0 पैदल सेतु का निर्माण	15.00	2.94	0.10
50	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड नैनीताल मे पिनसेला ग्राम में त्यूना को जोडे जाने वाले मार्ग पर स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	30.00	1.20	0.10
51	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड धारी में ग्राम अमदौ हेतु दुदली से आने वाले पैदल मार्ग पुलिया का निर्माण।	10.00	1.57	0.10
52	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकासखण्ड ओखलकांडा में ग्राम पलोली मल्ली हेतु मौनरा–पलोली पैदल मार्ग पर बड़ी गाड में पैदल सेतु का निर्माण	30.00	3.15	0.10
53	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ में ग्राम होनेरा में स्थानीय गधेरे में (10+12) 22 मी0 विस्तार पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण	22.00	5.56	0.10
54	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में गापानी कमेटपानी को जोड़ने हेतु 30 मी0 पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	30.00	3.54	0.10
55	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में शम्भू नदी पर समडर के पास 30 मी0 पैदल लौह सेतु का निर्माण	30.00	3.54	0.10
	योग—		123.33	5.50

(कुल ₹ पांच लाख पचास हजार मात्र)

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता

नि०, खण्ड नो०1